भारत के लिए स्थानीय पूरक (लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया)

(LOCAL SUPPLEMENT FOR INDIA)

2026 लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) ग्रुप कर्मचारी शेयर खरीद योजना ("प्रस्ताव ") *के तहत शेयर खरीदने का निर्णय लेने से पहले कृपया इस दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। इस दस्तावेज़ में आपको निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी :*

- ***भाग A (Part A)*** *लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) में प्रस्ताव का सामान्य विवरण दिया गया है जिसमें प्रतिनिधित्व, वारंटी और समझौते शामिल हैं जिन्हें आप प्रस्ताव में भाग लेने की स्थिति में स्वीकार करेंगे (भाग 'ए' (A) भारत के लिए एक स्थानीय सूचना दस्तावेज है जो योजना नियमों का हिस्सा है), , और*
- ***भाग B (Part B)*** *भारत में प्रतिभागियों के लिए सामान्य कर संबंधी जानकारी प्रदान की गई है।*

*इस दस्तावेज़ में लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कर्मचारी शेयर खरीद योजना के बारे में जानकारी शामिल है। आपको इस प्रस्ताव ("**LEGRAND शेयर**") में लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) के शेयरों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। नीचे प्रस्ताव का सारांश और भारत में भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए लागू विशिष्ट शर्तें दी गई हैं, जिसमें प्रमुख कर और सामाजिक सुरक्षा परिणाम शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी बचत योजना है, जो फ्रांसीसी कानूनों और विनियमों के अधीन है।*

कृपया यह भी ध्यान दें कि प्रस्ताव में भाग लेने का निर्णय आपका है, अपनी स्थिति और किसी भी स्वतंत्र सलाह जिस की आपको आवश्यकता हो सकती है, पर विचार करें । कृपया यह भी ध्यान दें कि प्रस्ताव और इसकी शर्तें आपके नियोक्ता के साथ आपके रोजगार संबंधों का हिस्सा नहीं बनेंगी। न तो आपका नियोक्ता और न ही लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) इस प्रस्ताव के संबंध में कोई निवेश सलाह देंगे।

LEGRAND शेयर यूरोनेक्स्ट पेरिस (Euronext Paris) में सूचीबद्ध हैं। आपको लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) के यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट और किसी भी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें इसकी गतिविधियों, रणनीति, वित्तीय परिणामों और इसके व्यवसाय और LEGRAND शेयरों में निवेश से जुड़े विशिष्ट जोखिमों पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

यह पे प्रस्ताव E.U. प्रॉस्पेक्टस विनियमन (E.U.) 2017/1129, संशोधित के अनुच्छेद 4(i) में प्रदान की गई प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित करने की छूट पर निर्भर करती है।

भाग A (PART A)

प्रस्ताव /ऑफ़रिंग का सामान्य विवरण

(GENERAL DESCRIPTION OF THE OFFERING)

आपकी शेयरों की कस्टडी (Custody of your Shares)

आपके शेयर आपकी ओर से एक फोंड्स कम्यून डी प्लेसमेंट डी'एंटरप्राइज़"(*Fonds Commun de Placement d'Entreprise)* ("**FCPE**") द्वारा सब्सक्राइब किए जाएंगे और रखे जाएंगे, जो फ्रांस में कर्मचारी शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों को संरक्षित करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक सामूहिक निवेश वाहन है। LEGRAND शेयरों की खरीद आपकी ओर से कार्य करते हुए FCPE के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार, आपको उन शेयरों के अनुरूप FCPE "LEGRAND RELAIS 2026" की यूनिट्स जारी की जाएंगी। ये इकाइयाँ आपकी ओर से एफसीपीई (FCPE) द्वारा आयोजित की जाएंगी।

पात्र कर्मचारी (Eligible employees)

प्रस्ताव में भागीदारी उन व्यक्तियों के लिए खुली होगी जो सब्सक्रिप्शन अवधि के अंतिम दिन, यानी 31 मार्च, 2026 को LEGRAND संस्थाओं द्वारा नियोजित हैं, और जिनके पास 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) के भीतर कम से कम तीन (3) महीने की वरिष्ठता (seniority) है, चाहे वह निरंतर हो या रुक-रुक कर।

सब्सक्रिप्शन अवधि (Subscription Period)

सदस्यता अवधि 13 मार्च, 2026 को शुरू होगी और 31 मार्च, 2026 (दोनों दिन शामिल) को समाप्त होगी। सदस्यता अवधि के अंतिम दिन आपका सदस्यता आदेश (सब्सक्रिप्शन ऑर्डर) बाध्यकारी और अपरिवर्तनीय हो जाएगा।

सब्सक्रिप्शन मूल्य (Subscription Price)

LEGRAND शेयर पर 20% की छूट (डिस्काउंट) दी जा रही है। प्रत्येक शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य 10 मार्च, 2026 (जिसे "**संदर्भ मूल्य**" भी कहा जाता है) को समाप्त होने वाले 20 कारोबारी दिनों में LEGRAND शेयर के समापन मूल्यों के औसत पर आधारित है। सब्सक्रिप्शन मूल्य संदर्भ मूल्य घटा (माइनस) 20% छूट के बराबर है। सब्सक्रिप्शन मूल्य 11 मार्च, 2026 को निर्धारित होने की उम्मीद है।

आप अपना निवेश भारतीय रुपये (INR) में करेंगे। आपकी निवेश राशि को यूरो (€) में परिवर्तित किया जाएगा क्योंकि LEGRAND शेयर यूरो (€) में सूचीबद्ध हैं। आपकी निवेश की राशि को यूरो (€) में निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विनिमय दर सब्सक्रिप्शन अवधि शुरू होने से पहले LEGRAND द्वारा निर्धारित की जाएगी और आपको सब्सक्रिप्शन मूल्य के साथ सूचित की जाएगी। INR में आपके निवेश के अनुरूप यूरो (€) में राशि FCPE के माध्यम से LEGRAND शेयरों में निवेश की जाएगी। LEGRAND द्वारा निर्धारित विनिमय दर और विदेशों में धन के वास्तविक प्रेषण की तारीख पर प्रभावी विनिमय दर के बीच कोई भी भिन्नता आपके निवेश की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।

महत्वपूर्ण नोट: आपके निवेश के जीवनकाल के दौरान, LEGRAND शेयरों का मूल्य यूरो और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होगा। परिणामस्वरूप, यदि यूरो का मूल्य भारतीय रुपये के सापेक्ष मजबूत होता है, तो भारतीय रुपये में व्यक्त शेयरों में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, यदि यूरो भारतीय रुपये के सापेक्ष कमजोर होता है, तो भारतीय रुपये में व्यक्त शेयरों का मूल्य कम हो जाएगा। तत्पश्चात, € और INR के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव आपके निवेश को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अधिकतम सब्सक्रिप्शन राशि (Maximum Subscription Amount)

प्रस्ताव में आप जो अधिकतम राशि निवेश कर सकते हैं वह आपके 2025 के सकल वार्षिक पारिश्रमिक के 25% से अधिक नहीं हो सकती है। अपने सकल वार्षिक मुआवजे की गणना करने के लिए, आपको निम्नलिखित शामिल करना चाहिए:

- आपका वेतन और बोनस/कमीशन (यदि कोई हो), और
- परिवर्तनीय वेतन की कोई भी राशि (जो आप नियमित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कार भत्ता, ओवरटाइम, शिफ्ट भत्ता, ऑन-कॉल भत्ता और बाजार की सप्लीमेंट)।

यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका निवेश उपरोक्त सीमा से अधिक न हो।

भुगतान के तरीके (Methods of Payment)

भुगतान भारतीय रुपये (INR) में किया जाना है। LEGRAND शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास निम्नलिखित भुगतान विधियां उपलब्ध हैं:

- सब्सक्रिप्शन मूल्य का आपके नियोक्ता द्वारा वित्तपोषण, और/या
- सब्सक्रिप्शन मूल्य का बैंक हस्तांतरण द्वारा आपके द्वारा भुगतान।

आप उपरोक्त भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके, या उनके संयोजन का उपयोग करके अपने सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन फॉर्म में अपने भुगतान विधि विकल्प को इंगित करना होगा।

यदि आप बैंक हस्तांतरण द्वारा अपने सब्सक्रिप्शन का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं, तो आपके नियोक्ता को कुल सब्सक्रिप्शन राशि का भुगतान 19 अप्रैल, 2026 तक प्राप्त होना चाहिए। साथ ही, बैंक हस्तांतरण करते समय, कृपया अपने मानव संसाधन (HR) विभाग में नामित व्यक्ति को हस्तांतरण का प्रमाण प्रस्तुत करें। जिस बैंक खाते के विवरण में भुगतान किया जाना है, उसे सब्सक्रिप्शन अवधि शुरू होने से पहले आपको ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा।

वित्तपोषण अल्पकालिक 'ब्याज मुक्त' ऋण के रूप में होगा, जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले मासिक वेतन कटौती के माध्यम से 12 (बारह) महीनों में आपके वेतन से प्रतिदेय/वसूली योग्य होगा।

यद्यपि उक्त वित्तपोषण ब्याज मुक्त होगा, आयकर अधिनियम के तहत, एक काल्पनिक ब्याज प्रभार्य होगा और इसे एक 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) (perquisite) के रूप में माना जाएगा, जो पुनर्भुगतान तक आपके हाथों में कर योग्य होगा। यदि आप ऋण पुनर्भुगतान से पहले रोजगार छोड़ देते हैं, तो आपका नियोक्ता पूर्ण और अंतिम निपटान के समय आपके पेरोल/वेतन से अवैतनिक योगदान और लागत (यदि कोई हो) काटने का हकदार होगा।

मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) (Matching Contribution)

आपका नियोक्ता (एम्प्लायर) आपके द्वारा LEGRAND शेयरों में निवेश की गई राशि के 100% के बराबर मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) प्रदान करेगा, जो अधिकतम € 600 तक होगा। मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) आपकी ओर से LEGRAND शेयरों में रियायती मूल्य पर निवेश किया जाएगा। ये शेयर आपके व्यक्तिगत योगदान के साथ खरीदे गए शेयरों के साथ, FCPE द्वारा आपकी ओर से जारी और रखे जाएंगे। आपके व्यक्तिगत योगदान और मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) के साथ सब्सक्राइब की गई FCPE यूनिट्स की कुल संख्या कुल राशि के बराबर होगी। पूर्ण विवरण के लिए, कृपया सूचना विवरणिका और वेबसाइट (https://employeeshareplan.legrandgroup.com) देखें। कृपया ध्यान दें कि प्रस्ताव की सदस्यता का अर्थ है मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) नियमों की स्वीकृति।

आपकी LEGRAND शेयरों की कस्टडी (Custody of your LEGRAND shares)

आपकी यूनिट्स/इकाइयों/शेयर आपकी ओर से एक सामूहिक शेयरहोल्डिंग वाहन द्वारा सब्सक्राइब और रखे जाएंगे जिसे *Fonds Commun de Placement d'Entreprise* (FCPE) के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर फ्रांस में कर्मचारी निवेशकों द्वारा रखे गए शेयरों की कस्टडी के लिए उपयोग किया जाता है। LEGRAND शेयरों की सदस्यता आपकी ओर से कार्य करते हुए FCPE द्वारा की जाएगी। आपको उन शेयरों के अनुरूप FCPE की यूनिट्स जारी की जाएंगी जिन्हें आप सब्सक्राइब करते हैं, जो आपके लिए FCPE द्वारा रखी जाएंगी। इस प्रकार, एक शेयर के सब्सक्रिप्शन मूल्य के अनुरूप निवेश की गई प्रत्येक राशि के लिए, आपको FCPE की एक यूनिट प्राप्त होगी। FCPE

की यूनिट्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी और किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं होंगी। यूनिट्स को केवल यहां प्रदान की गई तरीके से भुनाया जा सकता है।

लाभांश (Dividends)

5 साल की लॉक-अप अवधि के दौरान FCPE द्वारा आपकी ओर से रखे गए LEGRAND शेयरों पर भुगतान किया गया कोई भी लाभांश स्वचालित रूप से FCPE द्वारा पुनर्निवेशित किया जाएगा। प्रस्ताव में भाग लेकर, आप लाभांश के ऐसे पुनर्निवेश के लिए सहमत होते हैं। ये पुनर्निवेशित लाभांश FCPE यूनिट्स के मूल्य में वृद्धि करेंगे (अधिक विवरण के लिए भारत कर नोट देखें)। पुनर्निवेशित लाभांश की राशि हर साल सूचित की जाएगी। यदि आप कनेक्ट करने में असमर्थ हैं, तो कृपया विवरण प्राप्त करने के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें।

मतदान अधिकार (Voting rights)

FCPE पर्यवेक्षी बोर्ड LEGRAND शेयरों पर मतदान के अधिकारों का प्रयोग करेगा।

मुद्रा विनिमय नियंत्रण (Currency Exchange Control)

सभी भारतीय निवासी व्यक्ति, चाहे वे Legrand India के कर्मचारी हों या कार्यकारी निदेशक, ESOP (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना) या अन्य कर्मचारी लाभ योजनाओं के तहत बिना किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, प्रस्ताव के तहत प्रति कर्मचारी अधिकतम सब्सक्रिप्शन राशि ऊपर बताई गई है।

कृपया ध्यान दें कि प्रस्ताव में आपकी भागीदारी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी नियमों और विनियमों, समय-समय पर संशोधित सहित लागू भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए। उदारीकृत प्रेषण योजना (लिबरलाइज़ रेमिटेंस स्कीम)[1] (LRS) के तहत आपकी ओर से आपके नियोक्ता द्वारा सब्सक्रिप्शन राशि का प्रेषण USD 250,000 की सीमा के भीतर होना चाहिए या अन्यथा लागू विनिमय नियंत्रण कानूनों और विनियमों के अनुसार और उसके अधीन होना चाहिए। आपके नियोक्ता को LRS के तहत आपके अन्य प्रेषणों के बारे में पता नहीं हो सकता है; इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि आपकी सदस्यता USD 250,000 की सीमा के भीतर है। आप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत जारी नियमों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होने के लिए सहमत हैं। यदि यह पाया जाता है कि इस तरह के प्रेषण से निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ है, यानी प्रति कर वर्ष USD 250,000 (या अन्यथा), तो आप अतिरिक्त धनराशि को भारत वापस लाएंगे और, *suo motu*, कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करेंगे।

आपका स्थानीय नियोक्ता लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार प्रस्ताव के तहत विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी मामलों को संभालेगा। प्रस्ताव में भाग लेने के लिए, आपने अपने नियोक्ता को प्रस्ताव को लागू करने के लिए आपकी ओर से उचित प्राधिकारी के पास प्रासंगिक आवेदन करने या फाइल करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, आपको प्रस्ताव के संबंध में कानूनों, विनियमों या संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज को पूरा करने या जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

प्रस्ताव के नियमों और शर्तों के अधीन, आप बिक्री के माध्यम से विदेशी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित कर सकते हैं, बशर्ते कि आय प्राप्ति पर तुरंत वापस लाया जाए और, किसी भी मामले में, ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री की तारीख से

[1] *भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों की उदारीकृत प्रेषण योजना (लिबरलाइज़ रेमिटेंस स्कीम) एक भारतीय निवासी कर्मचारी को एक कर वर्ष में USD 250,000 से अधिक की राशि के लिए विदेशी कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति देती है (यानी, एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक)। यह सीमा कुल राशि है जो एक कर्मचारी एक कर वर्ष (अप्रैल-मार्च) में भेज सकता है, जिसमें सभी स्वीकार्य चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए उसके प्रेषण शामिल हैं।*

180 दिनों के बाद नहीं। प्रस्ताव के तहत आपके द्वारा किए गए सभी प्रेषण लागू भारतीय विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानूनों और विनियमों के अधीन होंगे।

जब आप अपने निवेश को भुनाते हैं, तो आपका नियोक्ता संबंधित सरकारी अधिकारियों (यदि आवश्यक हो) के साथ दावा दायर करेगा और बैंकों द्वारा अनुरोधित सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जिससे आपकी आय के भुगतान में देरी हो सकती है। चूंकि प्रस्ताव से आपके पूंजीगत लाभ भारतीय रुपये और यूरो के बीच विदेशी विनिमय दर से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए भारतीय रुपये में आपकी आय इस तरह की भुगतान देरी से उत्पन्न होने वाली दर में उतार-चढ़ाव से भौतिक रूप से प्रभावित हो सकती है।

स्रोत पर एकत्रित कर ("**TCS**") की प्रयोज्यता के लिए कृपया कर पूरक (भाग B) देखें। TCS लागू होगा यदि LRS के तहत आपके अंतर्राष्ट्रीय/विदेशी हस्तांतरण (प्रस्ताव के तहत शामिल) कर वर्ष 2026-27 के लिए INR 1,000,000 से अधिक हैं।

प्रतिभूति नोटिस (Securities Notices)

यह दस्तावेज़ और प्रस्ताव केवल लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) के उन कर्मचारियों को संबोधित है जो प्रस्ताव में भाग लेने के लिए पात्र हैं। कोई भी भारतीय प्रतिभूति कानून या अन्य फाइलिंग या रिपोर्टिंग आवश्यकताएं प्रस्ताव पर लागू नहीं होती हैं।

निपटान-वितरण (Settlement-delivery)

FCPE यूनिट्स के निपटान-वितरण की तिथि 12 मई, 2026 है।

मोचन (रिडेम्पशन) (Redemption)

आपका निवेश 5 साल की लॉक-अप अवधि की समाप्ति पर मोचन (रिडेम्पशन) के लिए उपलब्ध हो जाएगा (कृपया नीचे "*लॉक-अप अवधि*" अनुभाग देखें), यानी 12 मई, 2031 को (शामिल) (या जल्दी निकास घटना के मामले में पहले, कृपया नीचे "*जल्दी निकास की घटनाएं*" अनुभाग देखें)। उक्त अवधि के अंत में, FCPE आपको सीधे सूचित करेगा कि अनिवार्य होल्डिंग अवधि समाप्त हो गई है। आपके पास अपने निवेश को रखने या भुनाने का विकल्प होगा।

लॉक-अप अवधि और जल्दी निकास की घटनाएं (Lock-up Period and Early Exit Events)

प्रस्ताव के तहत दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए, सब्सक्राइब किए गए LEGRAND शेयर पांच साल (5) की लॉक-अप अवधि (12 मई, 2031 को समाप्त) के अधीन हैं, जो वर्तमान में फ्रांसीसी कानून के तहत अनुमत कुछ जल्दी निकास अपवादों के अधीन हैं। अपवाद हैं:

1. कर्मचारी का विवाह,
2. बच्चे का जन्म या बच्चे का गोद लेना, बशर्ते कर्मचारी का परिवार कम से कम दो बच्चों के लिए पहले से ही आर्थिक रूप से जिम्मेदार हो,
3. तलाक या अलगाव की अन्य न्यायिक मान्यता, यदि संबंधित कर्मचारी के अधिवास पर कम से कम एक बच्चे की कस्टडी रखी जाती है,
4. कर्मचारी या जीवनसाथी, या फ्रांसीसी कानून के तहत परिभाषित बच्चे की विकलांगता,
5. कर्मचारी या जीवनसाथी की मृत्यु,
6. किसी भी कारण से रोजगार की समाप्ति, जिसमें इस्तीफा, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति शामिल है,

7. फ्रांसीसी कानून के तहत प्रदान किए गए अनुसार, कर्मचारी के बच्चों या जीवनसाथी द्वारा एक विशेष व्यावसायिक उद्यम का निर्माण,
8. प्रमुख निवास की खरीद या विस्तार,
9. जीवनसाथी या पूर्व जीवनसाथी द्वारा कर्मचारी के खिलाफ की गई घरेलू हिंसा,
10. दिवालियापन,
11. प्रमुख निवास पर ऊर्जा-दक्षता नवीकरण कार्य के लिए आय का उपयोग, और
12. इलेक्ट्रिक और/या हाइड्रोजन-संचालित वाहन की खरीद के लिए आय का उपयोग।

ये जल्दी निकास की घटनाएं फ्रांसीसी कानून (दिवालियापन के अलावा) द्वारा परिभाषित की गई हैं और फ्रांसीसी कानून के साथ लगातार व्याख्या और लागू की जानी चाहिए।

कर्मचारियों (या उनके निष्पादकों) को अपने नियोक्ता या FCPE को मोचन (रिडेम्पशन) के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जैसा भी मामला हो, घटना के प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसी घटना के छह महीने के भीतर, सिवाय मृत्यु, विकलांगता, घरेलू हिंसा या रोजगार अनुबंध की समाप्ति के मामले में। इन मामलों में, कोई समय प्रतिबंध लागू नहीं होता है। मृत्यु की स्थिति में, वैधानिक नियमों (PF आदि) के तहत नियोक्ता के साथ दर्ज कर्मचारी का नामांकित व्यक्ति (nominee), मोचन (रिडेम्पशन) का अनुरोध करने का हकदार होगा।

प्रत्येक प्रारंभिक मोचन (रिडेम्पशन) का मामला केवल एक जल्दी निकास की अनुमति दे सकता है। प्रारंभिक मोचन (रिडेम्पशन) एक एकल भुगतान के रूप में होगा, जो कर्मचारी की पसंद पर, उन सभी या कुछ परिसंपत्तियों से संबंधित होगा जिन्हें भुनाया जा सकता है। निकास मूल्य की गणना करने के लिए कृपया FCPE के मुख्य सूचना दस्तावेज (KID) देखें।

आपको यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि जब तक आपने अपने विशिष्ट मामले को समझाया नहीं है (आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रदान करके) और आपके नियोक्ता ने पुष्टि नहीं की है कि यह आपकी स्थिति पर लागू होता है, तब तक एक प्रारंभिक निकास घटना उपलब्ध है। यदि आप एक प्रारंभिक निकास अनुरोध प्रस्तुत करते हैं, तो सेवा प्रदाता आपके नियोक्ता द्वारा मान्य किए जाने के बाद आपके अनुरोध को निष्पादित करेगा और आपके निवेश का मूल्य आपको या आपके नियोक्ता को हस्तांतरित करेगा। यदि आपके नियोक्ता को भुगतान किया जाता है, तो आपका नियोक्ता किसी भी आवश्यक कर या सामाजिक शुल्क को काटने के बाद आपको बकाया राशि हस्तांतरित कर सकता है।

प्रारंभिक निकास मामलों और मोचन (रिडेम्पशन) प्रक्रियाओं पर अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने मानव संसाधन (HR) विभाग से संपर्क करें।

श्रम कानून अस्वीकरण (Labour Law Disclaimer)

कृपया ध्यान दें कि यह प्रस्ताव आपको फ्रांसीसी कंपनी LEGRAND द्वारा प्रदान की गई है, न कि आपके स्थानीय नियोक्ता द्वारा।

इस दस्तावेज़ या इस प्रस्ताव के संबंध में आपको वितरित या उपलब्ध कराई गई किसी भी अन्य सामग्री में निहित कुछ भी आपको अपने रोजगार के संबंध में कोई अधिकार या पात्रता प्रदान नहीं करेगा। इस प्रस्ताव में भाग लेने या न लेने का आपका निर्णय पूरी तरह से स्वैच्छिक और व्यक्तिगत है। प्रस्ताव विवेकाधीन है, और प्रस्ताव में भागीदारी आपके रोजगार से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है।

वर्तमान प्रस्ताव का शुभारंभ LEGRAND के विवेक पर है। यह एक दिया गया अधिकार नहीं है, और इस प्रस्ताव में भागीदारी किसी भी तरह से समान लेनदेन में भाग लेने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। LEGRAND बाद के वर्षों में नए प्रस्ताव शुरू करने के लिए बाध्य नहीं है।

प्रस्ताव आपके रोजगार समझौते का हिस्सा नहीं है और इस तरह के समझौते में संशोधन या पूरक नहीं है। लाभ या भुगतान जो आप प्राप्त कर सकते हैं या प्रस्ताव के तहत पात्र हो सकते हैं, उन्हें किसी भी भविष्य के लाभ, भुगतान या अन्य हकदारियों की राशि निर्धारित करने में नहीं माना जाएगा जो आपके लिए देय हो सकती हैं (रोजगार समाप्ति के मामलों सहित)।

तारीख का परिवर्तन या रद्दीकरण (Change of Date or Cancellation)

कृपया ध्यान दें कि प्रस्ताव के सापेक्ष प्रलेखन में प्रदान की गई तारीखें सांकेतिक हैं और LEGRAND द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं। इसके अलावा, LEGRAND अपने विवेक पर प्रस्ताव योजना को रद्द कर सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information)

- प्रस्ताव लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) के पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। प्रस्ताव में बिक्री के लिए दी जाने वाली प्रतिभूतियों की सिफारिश किसी भी सरकारी प्रतिभूति आयोग या नियामक प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है, और न ही किसी प्राधिकरण ने इस दस्तावेज़ या प्रस्ताव के संबंध में आपको वितरित या उपलब्ध कराई गई अन्य सामग्रियों की सटीकता की पुष्टि की है या पर्याप्तता निर्धारित की है।
- अधिकांश देशों में, प्रस्ताव में भाग लेने से प्रतिभागी के लिए कर परिणाम होंगे। यद्यपि भारत के लिए देश के पूरक में एक सामान्य कर सारांश प्रदान किया गया है, न तो LEGRAND और न ही आपका नियोक्ता कोई कर सलाह प्रदान करता है। इसलिए, आपको प्रस्ताव में भाग लेने के कर परिणामों के बारे में सलाह के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।
- इसके अलावा, न तो LEGRAND और न ही आपका नियोक्ता प्रस्ताव के संबंध में निवेश सलाह दे रहे हैं।
- निवेश करना एक व्यक्तिगत निर्णय है जो आपके वित्तीय संसाधनों, निवेश लक्ष्यों, व्यक्तिगत कर स्थिति और अन्य निवेश विकल्पों पर विचार करता है। इस संबंध में, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्रहण किया गया जोखिम किसी एक निवेश में अनुचित रूप से केंद्रित नहीं है।
- प्रस्ताव में भाग लेने का आपका निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत और स्वैच्छिक है।
- आपका निर्णय लग्रों समूह (LEGRAND GROUP) के भीतर आपके रोजगार को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। इस दस्तावेज़ या इस प्रस्ताव योजना से जुड़े किसी भी अन्य वितरित या उपलब्ध कराए गए सामग्री में निहित कुछ भी आपके रोजगार के संबंध में कोई अधिकार या पात्रता प्रदान नहीं करेगा। प्रस्ताव में भाग लेना आपके रोजगार समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है।

* * *

ध्यान दें: यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल और प्रयास किए गए हैं कि लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया का हिंदी में अनुवाद सही हो, किसी भी त्रुटि को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस हिंदी अनुवाद और लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया के अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी संघर्ष या अलग व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा; लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया के अंग्रेजी संस्करण के पढ़ने और व्याख्या के अनुसार किसी भी संघर्ष या मतभेद का समाधान किया जाएगा। किसी भी भ्रम की स्थिति में, स्पष्टीकरण के लिए मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।

भाग – B (PART – B)

भारत में निवासी, सामान्य रूप से निवासी और अधिवासित कर्मचारियों के लिए कर सारांश

निम्नलिखित कर सारांश सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो उन कर्मचारियों पर लागू होने की उम्मीद है जो (i) भारतीय कर कानूनों और दोहरे कराधान से बचने के लिए फ्रांस और भारत के बीच 29 सितंबर, 1992 को हुई संधि ("संधि") के लिए भारत में निवासी, सामान्य रूप से निवासी और अधिवासित हैं और (ii) संधि के लाभों के हकदार हैं लेकिन सभी विशिष्ट मामलों में लागू नहीं हो सकते हैं। यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूर्ण या निर्णायक के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि यह स्थानीय पूरक 15 फरवरी, 2026 को लागू कर कानूनों पर आधारित है (इस सारांश के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय बजट 2026 में निहित कर प्रस्तावों पर विचार किया गया है। कृपया अपने कर सलाहकारों से परामर्श करें।) चूंकि कर कानून, प्रथाएं और संधि समय के साथ परिवर्तन के अधीन हैं, इसलिए यह आपकी कर स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, आपको उचित समय पर विशिष्ट कर सलाह लेनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि न तो लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) और न ही आपका नियोक्ता आपको प्रस्ताव के संबंध में कोई व्यक्तिगत मार्गदर्शन या कर सलाह प्रदान करता है। कर्मचारियों को प्रस्ताव में LEGRAND शेयर प्राप्त करने के परिणामों के बारे में अपने कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए। यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूर्ण या निर्णायक के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। आपकी नियोक्ता कंपनी इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदारी नहीं लेती है।

इस कर नोट को आपको वितरित की गई और समर्पित वेबसाइट https://employeeshareplan.legrandgroup.com पर उपलब्ध कराई गई अन्य सामग्रियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि नीचे वर्णित नए TCS (स्रोत पर एकत्रित कर) प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन्होंने कर वर्ष 2026-27 के दौरान 1,000,000 INR से अधिक का बाहरी प्रेषण (outward remittance) भारत से किया है।

सब्सक्रिप्शन पर (UPON SUBSCRIPTION)

क्या मुझे LEGRAND शेयरों के सब्सक्रिप्शन के समय कोई कर और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा?

A. फ्रांस में कराधान

"RELAIS ACTION 2026" FCPE या "ACTIONS LEGRAND 2026" FCPE के माध्यम से LEGRAND शेयरों के सब्सक्रिप्शन पर आप फ्रांस में कराधान के अधीन नहीं होंगे। FCPE द्वारा प्राप्त लाभांश पर फ्रांस में कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आपके निवेश पर प्राप्त किसी भी लाभ पर फ्रांस में कराधान या सामाजिक शुल्क लागू नहीं होते हैं।

B. भारत में कराधान

क्या सब्सक्रिप्शन पर कोई कर या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है, और क्या छूट कर और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क के अधीन होगी?

सब्सक्रिप्शन के समय उपलब्ध शेयर मूल्य छूट आपके हाथों में 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) के रूप में कर के अधीन होगी। इसलिए, कर वर्ष 2026-2027 के लिए, आवंटन के समय, आप उचित बाजार मूल्य (जो श्रेणी I मर्चेंट बैंकर द्वारा निर्धारित किया जाएगा) और भुगतान किए गए सब्सक्रिप्शन मूल्य के बीच के अंतर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार, ऐसी राशि को "**अनुलाभ" (परकिसीट्स)**" आय माना जाएगा और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1) के तहत आपके हाथों में कर योग्य होगी।

अनुलाभ का मूल्यांकन निम्नलिखित के बीच के अंतर पर गणना किया जाता है:

i. LEGRAND शेयरों का "**उचित बाजार मूल्य**" (जैसा कि **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड** के साथ पंजीकृत "**श्रेणी I मर्चेंट बैंकर**" द्वारा निर्धारित किया गया है), और
ii. **आपके द्वारा भुगतान की गई सब्सक्रिप्शन राशि**।

परिणामस्वरूप, LEGRAND शेयरों के "उचित बाजार मूल्य" ("**FMV**") को निर्धारित करने के लिए श्रेणी I मर्चेंट बैंकर द्वारा जारी एक शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और आपके द्वारा भुगतान किए गए सब्सक्रिप्शन मूल्य और ऐसे FMV के बीच के अंतर को लागू कर दर पर कर योग्य अनुलाभ आय माना जाएगा। FMV का निर्धारण करते समय, मर्चेंट बैंकर निर्दिष्ट तिथि (यानी, सब्सक्रिप्शन की तारीख या सब्सक्रिप्शन की तारीख से 180 दिन पहले की किसी भी तारीख) पर यूरोनेक्स्ट पेरिस स्टॉक एक्सचेंज पर LEGRAND शेयरों की सूचीबद्ध कीमत को विचारों में से एक के रूप में मानेगा। आपका नियोक्ता ऐसा शेयर मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

चूंकि LEGRAND शेयर 20% की छूट पर पेश किए जाते हैं, इसलिए LEGRAND शेयरों के FMV पर छूट को आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17 के तहत एक 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) माना जाएगा, और परिणामस्वरूप, यह आपके मुआवजे का हिस्सा बनेगा और "**वेतन**" (Salaries) शीर्षक के तहत आय के रूप में आपके हाथों में कर योग्य होगा। तदनुसार, कर आवंटन के समय वहन किया जाएगा। कर की दर आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी और आप पर लागू स्लैब-वार कर लगाया जाएगा (*लागू कर दरों के लिए, कृपया "रिडेम्पशन पर" अनुभाग के तहत तालिका देखें*)।

चित्रण (Illustration):	
एक LEGRAND शेयर का उचित बाजार मूल्य	Rs. 100
आपके द्वारा भुगतान किया गया सब्सक्रिप्शन मूल्य (20% छूट के बाद)	Rs. 80
छूट (Discount)	Rs. 20
20 रुपये की छूट को "'अनुलाभ' (परकिसीट्स)" आय माना जाएगा और आपके कर योग्य वेतन में जोड़ा जाएगा।	

आपका नियोक्ता LEGRAND शेयरों की आपकी खरीद के संबंध में कोई कर दायित्व वहन नहीं करेगा। हालांकि, आपका नियोक्ता आपसे लागू स्लैब दरों (और लागू कर व्यवस्था) के अनुसार कर रोक (withhold) लेगा और कर अधिकारियों को ऐसे रोके गए करों को जमा करेगा। इसके अतिरिक्त, जहां भी लागू हो, आपके नियोक्ता को उदारीकृत

प्रेषण योजना (लिबरलाइज़ रेमिटेंस स्कीम)[2] ("**LRS**") के तहत किए गए प्रेषण पर आपसे स्रोत पर एकत्रित कर ("**TCS**") एकत्र करने और कर अधिकारियों[3] के पास कर जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।

कृपया ध्यान दें कि LRS पर TCS प्रति कर वर्ष प्रति व्यक्ति 1,000,000 INR (एक मिलियन) से अधिक के LRS के तहत सभी बाहरी प्रेषणों पर लागू होता है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, लागू TCS दर 1,000,000 INR (एक मिलियन) से अधिक के प्रेषण के हिस्से पर 20% है। यदि कर वर्ष 2026-27 में LRS के तहत आपके कुल प्रेषण (प्रस्ताव के तहत प्रेषण के साथ मिलकर) 1,000,000 INR (एक मिलियन) से अधिक नहीं हैं, तो आप TCS के अधीन नहीं होंगे। हालांकि, यदि आपके प्रेषण 1,000,000 INR (एक मिलियन) से अधिक हैं और TCS लागू होता है, तो TCS आपके नियोक्ता द्वारा आपके मई 2026 के पेरोल से (एक ही किस्त में) एकत्र/वसूला जाएगा और कर अधिकारियों (अधिकृत डीलर/बैंकर (AD) के माध्यम से) के पास जमा किया जाएगा, जो आपके फॉर्म 168 (पूर्व में फॉर्म 26AS) में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगा।

एकत्रित TCS को आपके वास्तविक समग्र कर दायित्व पर लागू किया जा सकता है, जो वर्ष के अंत में देय है[4]। यदि आपका ऐसा कोई कर दायित्व नहीं है, तो आप वर्ष के अंत में रिफंड का दावा कर सकते हैं। नियोक्ता इन करों को वहन नहीं करेगा। कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

FCPE के माध्यम से सब्सक्राइब करते समय, आपको कोई सामाजिक कर परिणाम नहीं भुगतना होगा।

यदि आपका नियोक्ता सब्सक्रिप्शन मूल्य का वित्तपोषण करता है, तो काल्पनिक ब्याज दर को 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) माना जाएगा और यह आपके हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, ब्याज मुक्त/रियायती ऋण से उत्पन्न होने वाला 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य कर योग्य होगा, और आपके नियोक्ता को लागू दर पर कर रोकना आवश्यक होगा।

योक्ता के हाथों में (In the hands of the Employer):

नियोक्ता पर उपरोक्त वर्णित करों को रोकने के अलावा कोई अन्य कर देने का अलग दायित्व नहीं होगा।

उपरोक्त के अलावा, वर्तमान में, कोई सामाजिक सुरक्षा कर या अन्य शुल्क देय नहीं हैं।

मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) का कराधान (Taxation of Matching Contribution)

कर्मचारियों के हाथों में (In the hands of the Employees):

आपका नियोक्ता भाग लेने वाले कर्मचारी की ओर से LEGRAND को नियोक्ता द्वारा किए गए भुगतान के रूप में नियोक्ता मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) की प्रस्ताव करेगा। इस भुगतान का उपयोग प्रस्ताव में कर्मचारियों के लिए रियायती शेयर खरीदने के लिए किया जाएगा। मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) को "**'अनुलाभ' (परकिसीट्स)**" आय माना जाएगा और यह सामान्य (वेतन) आय के रूप में आपके हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, कर वर्ष 2026-2027 के लिए, आपके द्वारा भुगतान किए गए खरीद मूल्य (इस मामले में, शून्य)

---

[2] *LRS योजना के तहत, एक निवासी व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के कर वर्ष के लिए RBI से पूर्व अनुमति के बिना भारत के बाहर US$ 250,000 तक का फंड भेज सकता है। यह योजना केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।*

[3] *1 अप्रैल, 2026 से, LRS के तहत बाहरी विदेशी प्रेषण (शिक्षा या चिकित्सा उपचार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए) के लिए स्रोत पर कर संग्रह (TCS) 20% है (1,000,000 रुपये की सीमा से परे)। नियोक्ताओं को कार्यान्वयन और वसूली तंत्र पर बैंक से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए*

[4] *आयकर अधिनियम के तहत, वेतन आय पर TDS की कटौती से संबंधित प्रावधानों में अब संशोधन किया गया है ताकि कर्मचारियों को वेतन आय से काटे जाने वाले कर की राशि की गणना करते समय उपलब्ध किसी भी TDS या TCS क्रेडिट को ध्यान में रखा जा सके।*

और आवंटन की तारीख पर मिलान LEGRAND शेयरों के FMV के बीच के अंतर को 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) आय माना जाएगा और आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1) के तहत आपके हाथों में कर योग्य होगा।

यूनिट्स के रूप में जारी मुफ्त LEGRAND शेयरों के रूप में मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) की प्राप्ति या वितरण पर कराधान होगा।

नियोक्ता आप पर लागू दर पर कर रोकेगा और रोके गए कर को कर अधिकारियों को जमा करेगा। कर की दर आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी और आप पर लागू स्लैब-वार कर लगाया जाएगा (*लागू कर दरों के लिए, कृपया 'रिडेम्पशन पर' शीर्षक के तहत तालिका देखें*)।

चित्रण (Illustration):	
एक LEGRAND शेयर का उचित बाजार मूल्य	Rs. 100
आपके द्वारा भुगतान किया गया सब्सक्रिप्शन मूल्य	Rs. 0
छूट (Discount)	Rs. 100
100 रुपये की राशि को "'अनुलाभ' (परकिसीट्स)" आय माना जाएगा और आपके कर योग्य वेतन में जोड़ा जाएगा।	

नियोक्ता के हाथों में (In the hands of the Employer):

कर का भुगतान करने के लिए नियोक्ता पर कोई दायित्व नहीं होगा।

आयकर के अलावा, कोई सामाजिक सुरक्षा कर या अन्य शुल्क देय नहीं हैं।

क्या ब्याज मुक्त किस्त भुगतान कर और/या सामाजिक सुरक्षा शुल्क के अधीन होगा?

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 17(1)(d) के तहत, आयकर नियम, 2026 के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया, एक 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) में मुफ्त में या रियायती दर पर प्रदान किए गए किसी भी लाभ या सुविधा का मूल्य शामिल है। आयकर नियमों के तहत ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर प्रदान किया गया ऋण एक 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) के रूप में योग्य है। इसलिए, नियोक्ता द्वारा आपको दिया गया लाभ, रियायत या सुविधा (यदि आप ऐसा चुनते हैं) एक 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का रूप ले लेगी और आपके हाथों में कर के लिए उत्तरदायी होगी।

'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का मूल्यांकन (ब्याज मुक्त ऋण के रूप में):

चूंकि नियोक्ता द्वारा वित्तपोषण ब्याज मुक्त होगा, इसलिए भारतीय कर कानून को ऋण राशि पर ब्याज की काल्पनिक दर के शुल्क की आवश्यकता होती है, जिसे आपको दिए गए 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) के रूप में माना जाएगा और कर के अधीन होगा। 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य की गणना अधिकतम बकाया मासिक शेष विधि का उपयोग करके की जाएगी। हालांकि, यदि ऋण राशि कुल मिलाकर 200,000 INR से कम है तो कोई 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य नहीं लिया जाएगा।

आयकर नियमों के तहत, नियोक्ता द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण (200,000 INR से ऊपर) से कर्मचारी को होने वाले लाभ का मूल्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित कर वर्ष के पहले दिन उसी उद्देश्य के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में प्रति वर्ष ली जाने वाली दर पर गणना किए गए ब्याज के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा, अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर ब्याज को कम करके, यदि कोई हो, वास्तव में उसके द्वारा 200,000 INR से ऊपर की राशि के लिए भुगतान किया गया है।

इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली दर 14.10% प्रति वर्ष है (समय-समय पर परिवर्तन के अधीन)। चूंकि कर्मचारी के हाथों में 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का मूल्य भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली दर (वर्तमान मामले में, शून्य, क्योंकि नियोक्ता ब्याज नहीं लेगा) के बीच का अंतर होगा, इसलिए अधिकतम बकाया मासिक शेष राशि पर 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का मूल्य 14.10% होगा। चूंकि ब्याज मुक्त/रियायती ऋण से उत्पन्न होने वाला 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य आपके हाथों में कर योग्य होगा, इसलिए नियोक्ता उस पर उचित दर पर कर रोकेगा।

नियोक्ता द्वारा वित्तपोषण के मामले में आपके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा कर परिणाम नहीं होंगे।

चित्रण (Illustration):

1. *समीर ने LEGRAND शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए 1 अप्रैल, 2026 को अपने नियोक्ता से 180,000 रुपये का ऋण लिया। इसलिए, कोई भी राशि कर योग्य नहीं है क्योंकि ऋण राशि 200,000 रुपये से कम है (बशर्ते यह ऋण (या अन्य बकाया ब्याज मुक्त ऋण) कुल मिलाकर 200,000 रुपये से अधिक न हो)।*
2. *समीर ने LEGRAND शेयरों को सब्सक्राइब करने के लिए 1 अप्रैल, 2026 को अपने नियोक्ता से 300,000 रुपये का ऋण लिया। ऋण 12 महीनों में मासिक पेरोल कटौती के माध्यम से प्रतिदेय है। 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) कर से मुक्त नहीं है क्योंकि ऋण राशि 200,000 रुपये से अधिक है।*

'अनुलाभ' (परकिसीट्स) गणना (Perquisite calculation):

वर्ष 2026-2027 के लिए 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य की गणना निम्नानुसार की गई है:

1 अप्रैल, 2026 को, समीर को 300,000 रुपये का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण मिला, जो उसके नियोक्ता को बारह (12) किस्तों में प्रतिदेय है। पुनर्भुगतान प्रत्येक महीने के अंतिम दिन पेरोल कटौती द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली ऋण किस्त 30 अप्रैल, 2026 को देय होती है। 1 अप्रैल, 2026 तक SBI ब्याज दर 14.10% प्रति वर्ष मानी जाती है।

समीर को ब्याज मुक्त/रियायती ऋण - 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का मूल्यांकन - कर वर्ष 2026-27		
01.04.2026 को SBI ब्याज		**14.10%[5]**
नियोक्ता द्वारा लिया गया वास्तविक ब्याज (रुपये में)		**0**
01.04.2026 को बकाया ऋण		**300,000**
मासिक पुनर्भुगतान किस्त		**25,000**
महीना (Month)	**महीने के अंतिम दिन अधिकतम बकाया राशि**	**'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य[6] (SBI दर के अनुसार ब्याज)**
Apr-26	275,000	3,231
May-26	250,000	2,938
Jun-26	225,000	2,644
Jul-26	200,000	2,350
Aug-26	175,000	2,056
Sep-26	150,000	1,763
Oct-26	125,000	1,469

[5] *1 अप्रैल 2026 को ब्याज की SBI दर (अनंतिम) (व्यक्तिगत ऋण के लिए)। बैंक के साथ नियोक्ता द्वारा पुष्टि की जानी है। नियोक्ता को FY 2026-27 के लिए 1 अप्रैल 2026 को ब्याज की SBI दर की भी पुष्टि करनी चाहिए।*

[6] *अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य = अधिकतम बकाया मासिक शेष (समापन शेष) x 14.10% / 12।*

Nov-26	100,000	1,175
Dec-26	75,000	881
Jan-27	50,000	588
Feb-27	25,000	294
Mar-27	0	0
कुल ब्याज / 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य (Total Interest / Perquisite Value)		19,388
घटाएं: ऋण की वसूली (Less: Loan Recovered)		0
'अनुलाभ' (परकिसीट्स) का मूल्यांकन (Valuation of Perquisite)		19,388

31 मार्च, 2027 तक, 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य समीर की कर वर्ष 2026-27 की आय में जोड़ा जाएगा और कर उद्देश्यों के लिए कर लगाया जाएगा।

क्या मुझे लाभांश पर कोई कर या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देना होगा?

LEGRAND द्वारा वितरित कोई भी लाभांश LEGRAND शेयरों (बाजार में खरीदे गए) में FCPE "LEGRAND" द्वारा स्वचालित रूप से पुनर्निवेशित किया जाएगा और FCPE यूनिट्स के मूल्य में वृद्धि करेगा। इसलिए, आपको नकद में लाभांश प्राप्त नहीं होगा।

(i) फ्रांस में कराधान

कर्मचारियों को LEGRAND से प्राप्त लाभांश के (प्रत्यक्ष) वितरण की अनुपस्थिति में फ्रांस में कोई रोक कर नहीं लगाया जाएगा। बशर्ते आपका निवेश FCPE के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, और ऐसा FCPE किसी भी लाभांश को पुनर्निवेशित करता है जो LEGRAND SA वितरित कर सकता है, तो आप फ्रांस में कर या सामाजिक शुल्क के अधीन नहीं होंगे।

(ii) भारत में कराधान

चूंकि FCPE LEGRAND शेयरों (बाजार में खरीदे गए, जिससे आपके निवेश का मूल्य बढ़ता है) में लाभांश को पुनर्निवेशित करेगा, इसलिए ऐसे पुनर्निवेशित लाभांश आपके हाथों में कर योग्य होंगे[7]। लाभांश के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है जिस पर कोई कर देय नहीं है।

(a) कर की प्रकृति (उदाहरण के लिए, आय, पूंजीगत लाभ, आदि)

आप "अन्य स्रोतों से आय" (Income from Other Sources) शीर्षक के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(b) वह तरीका जिसके द्वारा कर योग्य राशि की गणना की जानी है

चूंकि कर की घटना लाभांश के वितरण पर होती है, इसलिए LEGRAND द्वारा घोषित या वितरित कोई भी लाभांश "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आपके हाथों में कर योग्य होगा। यह आय आपकी अन्य आय में जोड़ी जाएगी, और लाभांश सहित कुल आय पर तदनुसार कर लगाया जाएगा। आप लाभांश पर कर का भुगतान करने के लिए

[7] *भारतीय कर कानूनों के तहत, एक व्यक्ति को वितरण पर लाभांश प्राप्त माना जाता है। कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।*

उत्तरदायी हैं, और आपका नियोक्ता इसे रोकने या भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, आपको यूनिट्स/शेयरों से अर्जित लाभांश की रिपोर्ट करनी होगी। उचित ITR फॉर्म (ITR-2) का उपयोग करके कर रिटर्न पर ऐसी रिपोर्टिंग आवश्यक है (मूल्य की परवाह किए बिना)। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अनुभाग - रिपोर्टिंग दायित्व देखें।

चूंकि लाभांश € में घोषित (और पुनर्निवेशित) किया जाता है, इसलिए आपको € में लाभांश राशि को उस महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन के रूप में € से INR की SBI TT खरीद दर से गुणा करके लाभांश के मूल्य को INR में परिवर्तित करना होगा जिसमें लाभांश घोषित, वितरित या भुगतान किया गया है।

(c) कराधान की दर

कर की दर लाभांश आय सहित आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी। इस पर प्रगतिशील स्लैब-वार दरों (और लागू कर व्यवस्था) पर 30% तक कर लगाया जाएगा, साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर। कृपया ध्यान दें कि व्यक्तियों के लिए लाभांश आय पर अधिकतम अधिभार 15% पर सीमित है (यह सीमा विशेष रूप से नई कर व्यवस्था के तहत लागू होती है)। कर दरों के लिए कृपया "रिडेम्पशन पर" अनुभाग के तहत तालिका देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप 30% कर स्लैब में आते हैं, तो ऐसे लाभांश पर भी 30% कर लगाया जाएगा, साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, जैसा भी उचित हो।

रिडेम्पशन पर (UPON REDEMPTION)

क्या आपके LEGRAND शेयरों के रिडेम्पशन या बिक्री पर कोई कर या सामाजिक सुरक्षा शुल्क देय है?

(i) फ्रांस में कराधान

आप अपने शेयरों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, पर फ्रांस में आयकर के अधीन नहीं होंगे।

(ii) भारत में कराधान

भारत में, आप अपने शेयरों के रिडेम्पशन/बिक्री पर प्राप्त लाभ या मुनाफे पर पूंजीगत लाभ कर के अधीन हैं। आयकर के अलावा, कोई सामाजिक सुरक्षा कर या अन्य शुल्क देय नहीं हैं।

कर की प्रकृति (उदाहरण के लिए, आय, पूंजीगत लाभ या कर का कोई अन्य रूप)

यूनिट्स/शेयरों के रिडेम्पशन/बिक्री पर आपको होने वाले किसी भी लाभ या हानि को पूंजीगत लाभ या हानि माना जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, पूंजीगत संपत्ति (यहाँ यूनिट्स/शेयरों का रिडेम्पशन या बिक्री) के हस्तांतरण से होने वाले किसी भी लाभ या मुनाफे पर "पूंजीगत लाभ" (Capital Gains) शीर्षक के तहत आयकर लगाया जाता है। तदनुसार, आप यूनिट्स/शेयरों को बेचने पर प्राप्त किसी भी पूंजीगत लाभ (या हानि) की घोषणा करने और ऐसे लाभों के कारण लागू करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आपके नियोक्ता के पास यूनिट्स/शेयरों के रिडेम्पशन/बिक्री के समय कोई रोक कर दायित्व नहीं होगा।

कर योग्य राशि की गणना करने की विधि क्या है?

पूंजीगत लाभ की गणना रिडेम्पशन/बिक्री पर बिक्री कीमत[8] और सदस्यता के समय LEGRAND शेयरों के FMV और शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में पूरी तरह और विशेष रूप से किए गए किसी भी व्यय के रूप में की जाती है।

[8] *रिडेम्पशन/स्विच के महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन के रूप में EUR (€) की SBI TT खरीद दर को रिडेम्पशन/स्विच पर बिक्री विचार को रु. में परिवर्तित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।*

इस प्रकार, यदि बिक्री मूल्य खरीद के समय FMV से अधिक है, तो इसका परिणाम पूंजीगत लाभ होता है; इसके विपरीत, यदि बिक्री मूल्य खरीद के समय FMV से कम है, तो इसका परिणाम पूंजीगत हानि होती है। दूसरे शब्दों में, पूंजीगत लाभ कर केवल तभी आकर्षित होगा जब शेयरों को भुनाया/बेचा जाता है (वास्तविक राशि वसूल की गई राशि प्लस सदस्यता के वर्ष में फॉर्म 123 (पूर्व में फॉर्म 12BA) में उल्लिखित 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) की राशि)। इसलिए, पूंजीगत लाभ की गणना अधिग्रहण लागत के रूप में सदस्यता के समय शेयरों के FMV (20% छूट की परवाह किए बिना) का उपयोग करके की जाएगी।

चूंकि रिडेम्पशन € में होगा, इसलिए आपको रिडेम्पशन राशि को € में उस महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन के रूप में € से INR की SBI TT खरीद दर से गुणा करके रिडेम्पशन मूल्य को INR में परिवर्तित करना होगा जिसमें रिडेम्पशन होता है।

उदाहरण: यदि आप शेयरों के रिडेम्पशन के समय भारत में कर निवासी हैं, तो पूंजीगत लाभ की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

	राशि (Amount)
सभी LEGRAND शेयरों के रिडेम्पशन/हस्तांतरण से बिक्री विचार	**X**
अधिग्रहण की लागत के रूप में सदस्यता पर शेयरों का FMV[9]	**Y**
मुफ्त मिलान LEGRAND शेयरों का FMV	**Y1**
लाभांश का पुनर्निवेशित मूल्य	**Y2**
शेयरों के रिडेम्पशन/बिक्री के संबंध में किए गए व्यय (जैसे ब्रोकरेज, कस्टडी शुल्क, बैंक शुल्क और अन्य लेनदेन शुल्क)	**Y3**
पूंजीगत लाभ (Capital Gain) (Z) =	**X – (Y+Y1+Y2+Y3)**

चूंकि LEGRAND शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए कर उपचार भारत में गैर-सूचीबद्ध शेयरों के समान होगा। पूंजीगत लाभ की प्रकृति, यानी दीर्घकालिक या अल्पकालिक, शेयरों की होल्डिंग अवधि पर निर्भर करेगी। यदि शेयर **चौबीस (24) महीनों** से अधिक की अवधि के लिए रखे जाते हैं, तो पूंजीगत लाभ को **दीर्घकालिक** माना जाएगा; अन्यथा (यानी, **चौबीस (24) महीनों से कम** समय के लिए आयोजित), पूंजीगत लाभ को **अल्पकालिक** माना जाएगा और तदनुसार कर लगाया जाएगा। होल्डिंग अवधि की गणना आवंटन की तारीख से बिक्री की तारीख तक की जाती है।

चित्रण (Illustration):

1. समीर Legrand India का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अप्रैल 2026 में, उसने LEGRAND शेयरों की सदस्यता ली। समीर ने मई 2031 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयरों को भुनाया/बेचा। चूंकि LEGRAND शेयरों के लिए होल्डिंग अवधि 24 महीने से अधिक है, इसलिए शेयरों को दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, और किसी भी पूंजीगत लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा।
2. समीर Legrand India का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अप्रैल 2026 में, उसने LEGRAND शेयरों की सदस्यता ली। जल्दी निकास के मामले के कारण, समीर ने नवंबर 2027 में शेयरों को बेच दिया, यानी उन्हें 24 महीने से कम समय तक रखने के बाद। इसलिए, शेयरों को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, और किसी भी पूंजीगत लाभ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के लिए कर दरों पर अधिक विवरण नीचे दिए गए हैं।

[9] *सदस्यता के समय शेयरों के उचित बाजार मूल्य को 'अधिग्रहण की लागत' माना जाएगा।*

कराधान की दर (Rate of Taxation)

दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर अलग-अलग कर लगाया जाता है।

- **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-term capital gain):** दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए वर्तमान लागू कर दर 12.5% है (बिना किसी इंडेक्सेशन लाभ के), साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।
- **अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short-term capital gain):** अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर्मचारी की आय में शामिल होते हैं और नीचे निर्दिष्ट स्लैब-वार आयकर दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।

<u>उदाहरण:</u> यदि आप शेयरों के रिडेम्पशन/बिक्री के समय भारत में कर निवासी हैं, तो पूंजीगत लाभ की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

आइए इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं:

<u>A. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long–Term Capital Gains)</u>

समीर ने अप्रैल 2026 में LEGRAND के शेयरों की सदस्यता ली, जिसका उचित बाजार मूल्य (FMV) 150,000 रुपये था (यानी, उसके योगदान के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए शेयरों का FMV और प्राप्त मिलान शेयर)। समीर ने मई 2031 में लॉक-अप अवधि के अंत में सभी शेयरों को 330,000 रुपये में बेच दिया। चूंकि ये एक गैर-सूचीबद्ध (भारतीय) कंपनी के शेयर हैं, इसलिए समीर द्वारा देय कर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का 12.5% होगा।

<u>दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना:</u>

- सभी शेयरों का खरीद मूल्य (अप्रैल 2026) = **Rs. 150,000**

- शेयरों का बिक्री मूल्य (मई 2031) = **Rs. 330,000**

समीर द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ **Rs. 180,000** होगा, निम्नलिखित गणना के अनुसार:

बिक्री मूल्य - अधिग्रहण की लागत के रूप में सदस्यता पर शेयरों का FMV = 330,000 – 150,000 = <u>Rs. 180,000.</u>

इसलिए, 12.5% पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर Rs. 180,000 x 12.5/100 = <u>Rs. 22,500</u> होगा, साथ ही लागू अधिभार, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।

<u>B. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (Short–Term Capital Gains)</u>

समीर Legrand India का एक वेतनभोगी कर्मचारी है। अप्रैल 2026 में, उसने LEGRAND शेयरों की सदस्यता ली। जल्दी निकास के मामले के कारण, समीर ने नवंबर 2027 में शेयरों को बेच दिया, यानी उन्हें 24 महीने से कम समय तक रखने के बाद। इसलिए, LEGRAND शेयरों को अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा, और किसी भी पूंजीगत लाभ पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा।

इस मामले में, शेयरों की बिक्री से होने वाली आय को समीर की नियमित आय में जोड़ा जाएगा और लागू स्लैब दरों पर कर लगाया जाएगा, साथ ही लागू अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।

आयकर स्लैब दरें (Income-tax Slab Rates)

आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय पर आयकर लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की आय न्यूनतम सीमा (मूल छूट सीमा) से अधिक है, तो कर का मूल्यांकन स्लैब प्रणाली के तहत किया जाता है।

कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और दरें

(60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति)

2020-21 कर वर्ष से प्रभावी, सरकार ने कर लगाने का एक वैकल्पिक तरीका घोषित किया, जिससे व्यक्तिगत करदाताओं को **पुरानी** और **नई रियायती** कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करने की अनुमति मिली। पुरानी कर व्यवस्था ने करदाताओं को मौजूदा कर छूट का दावा करना जारी रखने की अनुमति दी, जैसे कि मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता छोड़ना, और आयकर अधिनियम[10] की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती। जबकि नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कम दरों पर करों का भुगतान करेंगे, उन्हें आयकर अधिनियम[11] के तहत अधिकांश कर छूट और कटौती को छोड़ना होगा। कानून का प्रस्ताव है कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट है, जिसमें निर्धारितियों के लिए पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प है। नई कर व्यवस्था ने अधिक कर स्लैब पेश किए हैं और कर छूट सीमा बढ़ा दी है। कर वर्ष 2026-27 के लिए पुरानी कर व्यवस्था (60 वर्ष से कम आयु के करदाता) बनाम नई कर व्यवस्था स्लैब दरों की तुलना इस प्रकार है:

आयकर स्लैब (Income Tax Slab)	नई कर व्यवस्था (रुपये में) New Tax Regime (in Rs.)	पुरानी कर व्यवस्था Old Tax Regime
NIL	0 - 400,000	0 - 250,000
5%	400,001 से 800,000	250,001 से 500,000
10%	800,001 से 1,200,000	
15%	1,200,001 से 1,600,000	
20%	1,600,001 से 2,000,000	500,001 से 1,000,000
25%	2,000,001 से 2,400,000	
30%	2,400,000 से ऊपर	1,000,000 से ऊपर

नोट्स (Notes):

1. *60 से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल छूट सीमा 250,000 रुपये (पुरानी व्यवस्था) / 400,000 रुपये (नई व्यवस्था) है; नई कर व्यवस्था स्लैब दरें आयु समूह के आधार पर विभेदित नहीं हैं। हालांकि, पुरानी कर व्यवस्था के तहत, वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष की आयु) और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए कर से मुक्त मूल आय सीमा क्रमशः 300,000 रुपये और 500,000 रुपये है।*
2. *यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 5 मिलियन रुपये से अधिक है लेकिन 10 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे आयकर का 10% अधिभार।*
3. *यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 10 मिलियन रुपये से अधिक है लेकिन 20 मिलियन रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे आयकर का 15% अधिभार।*
4. *यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 20 मिलियन रुपये से अधिक है, तो ऐसे आयकर का 25% अधिभार।*
5. *स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आयकर और अधिभार का 4% है।*
6. *अधिभार दर धारा 196 के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ और लाभांश आय के लिए 15% पर सीमित है।*

[10] *कर वर्ष 2026-27 में वैकल्पिक पुरानी व्यवस्था के तहत कर दरें और स्लैब अपरिवर्तित रहते हैं। इसी तरह, वैकल्पिक पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब, दरें, अधिभार, उपकर, छूट और मानक कटौती अपरिवर्तित रहती हैं। साथ ही, नई और पुरानी कर व्यवस्थाएं सह-अस्तित्व में रहती हैं। दोनों के बीच का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कर कटौती और छूट आपकी कर योग्य आय में क्या अंतर लाती है। दो व्यवस्थाओं के बीच का चुनाव व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। दोनों शासनों के तहत तुलनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण करने और फिर आवश्यकताओं को पूरा करने वाले को चुनने की सलाह दी जाती है।*

[11] *नई कर व्यवस्था चुनते समय करदाता को जिन छूटों/कटौतियों को छोड़ना पड़ सकता है, उनकी सांकेतिक सूची: छुट्टी यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, वाहन, रोजगार के दौरान दैनिक खर्च, स्थानांतरण भत्ता, सहायक भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, अन्य विशेष भत्ते, मानक कटौती, पेशेवर कर, आवास ऋण पर ब्याज और अन्य कटौती।*

7. *निम्नलिखित सीमाएं, अधिभार की दरें और आय वाले व्यक्तियों के मामले में लागू अधिकतम सीमांत कर दर (MMR) हैं:*

कुल आय (Total Income)	***पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime)***	***नई कर व्यवस्था (New Tax Regime)***
	अधिभार की दर / MMR (Rate of Surcharge / MMR)	
5 मिलियन रुपये तक	*Nil*	*Nil*
5 और 10 मिलियन रुपये के बीच	*10% / 34.32% (MMR)*	*10% / 34.32% (MMR)*
10 और 20 मिलियन रुपये के बीच	*15% / 35.88% (MMR)*	*15% / 35.88% (MMR)*
20 और 50 मिलियन रुपये के बीच	*25% / 39% (MMR)*	*25% / 39% (MMR)*
50 मिलियन रुपये से ऊपर	*37% / 42.74% (MMR)*	*25% / 39% (MMR)*

नोट: नई कर व्यवस्था के तहत, किसी व्यक्ति की कर देयता पर लगाए गए अधिकतम अधिभार को 25% तक सीमित कर दिया गया है।

8. *नई कर व्यवस्था के तहत, मानक कटौती 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत यह 50,000 रुपये है।*
9. *नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट व्यक्तिगत कर संरचना के रूप में निर्धारित किया गया है, हालांकि करदाता अभी भी पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं। नई कर व्यवस्था वैकल्पिक है और पुरानी के साथ सह-अस्तित्व में होगी, जिसमें तीन कर स्लैब और करदाताओं के लिए विभिन्न छूट और कटौती उपलब्ध हैं। नई कर व्यवस्था के तहत कर लगाने का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों को कुछ छूट और कटौती छोड़नी होगी। दूसरी ओर, पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति 2026-27 में अपनी आय पर उसी तरह कर देना जारी रखेंगे, जैसे उन्होंने पिछले कर वर्ष में किया था।*
10. *1 अप्रैल, 2026 से, यदि किसी निवासी व्यक्ति की कर योग्य आय 1,200,000 रुपये के बराबर या उससे कम है, तो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 156 के तहत कर राहत के कारण देय कर शून्य होगा। दूसरे शब्दों में, एक निवासी व्यक्ति (जिसकी शुद्ध आय 1,200,000 रुपये से अधिक नहीं है) अधिनियम की धारा 156 के तहत छूट का लाभ उठा सकता है। शिक्षा उपकर की गणना करने से पहले इसे आयकर से काटा जा सकता है। प्रभावी रूप से, इसका मतलब यह होगा कि 1,200,000 रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाता (विशेष आय, जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर) नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना जारी रखेंगे। दूसरे शब्दों में, नई कर व्यवस्था के तहत 1,200,000 रुपये तक की वार्षिक आय (75,000 रुपये की मानक कटौती वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए 1,275,000 रुपये) के लिए कोई कर स्लैब लागू नहीं होगा। इसलिए, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 1,275,000 रुपये तक की आय के लिए नई कर व्यवस्था के तहत कर देयता शून्य है।*

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त कर दरें परिवर्तन के अधीन हैं क्योंकि वे उस कर वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें निपटान या मोचन (रिडेम्पशन) होता है।

क्या आपके पास LEGRAND शेयरों के सब्सक्रिप्शन, होल्डिंग, रिडेम्पशन और लाभांश की प्राप्ति के संबंध में रिपोर्टिंग दायित्व हैं?

यदि आप आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार निवासी और सामान्य रूप से निवासी हैं, तो आप भारत में अपनी वैश्विक आय पर कराधान के अधीन होंगे, जो भारत और फ्रांस के बीच संधि के तहत उपलब्ध किसी भी लाभ के अधीन है। इसलिए, आपको होल्डिंग अवधि (खरीद के वर्ष से शुरू) के दौरान लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) में प्रस्ताव के तहत अपने निवेश, लाभांश की प्राप्ति (यदि कोई हो) और संबंधित कर वर्ष में अपने आयकर रिटर्न (**Form ITR-2**) में रिडेम्पशन के समय अर्जित पूंजीगत लाभ का खुलासा करना होगा।

अपने आयकर रिटर्न ("ITR") में कर रिपोर्टिंग

भारतीय कर कानून के तहत, निवासी करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न में संबंधित कर वर्ष के दौरान किसी भी समय रखी गई सभी विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। तदनुसार, फॉर्म ITR-2[12] में अपना रिटर्न

[12] *(मसौदा) आयकर नियम, 2026 के तहत, कर्मचारियों को फॉर्म ITR-2 का उपयोग करना होगा। एक व्यक्ति को ITR-2 दाखिल करना होगा यदि उनके पास है: (1) ESOP/RSU या विदेशी कंपनियों के शेयरों से लाभांश आय, (2) किसी भी विदेशी संपत्ति से आय, जिसमें विदेशी बैंक*

दाखिल करते समय, आपको लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) शेयरों/यूनिट्स की रिपोर्ट करनी होगी जो आपके पास हैं, साथ ही उनसे अर्जित किसी भी विदेशी स्रोत की आय भी। यह रिपोर्टिंग दायित्व परिसंपत्तियों के मूल्य या उनसे प्राप्त आय की परवाह किए बिना लागू होता है।

LEGRAND शेयरों के मूल्य या लागत का खुलासा करने के अलावा, आपको ऐसे शेयरों से अर्जित आय (INR में), आय की प्रकृति, और आय का वह शीर्षक जिसके तहत इसे कर के लिए पेश किया जाता है, की रिपोर्ट करनी होगी।

आपको ITR फॉर्म की **अनुसूची FA** (Schedule FA) (भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी संपत्ति और आय का विवरण) में इन विदेशी परिसंपत्तियों का विवरण प्रदान करना होगा। आपको **अनुसूची विदेशी स्रोत आय (FSI)**, **अनुसूची AL**[13], और **अनुसूची कर राहत (TR)** को भी पूरा करना होगा, जैसा लागू हो। इन अनुसूचियों में ऐसे खुलासे की आवश्यकता होती है:

- विदेशी अधिकार क्षेत्र में करदाता पहचान संख्या (यदि लागू हो)
- अर्जित विदेशी आय का प्रकार और राशि
- विदेशी करों का भुगतान, यदि कोई हो
- ऐसी आय पर देय भारतीय कर

भारत में कर उद्देश्यों के लिए विदेशी निवेश और प्रतिभूतियों की रिपोर्टिंग करते समय, विशिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू होती हैं। इस तरह के निवेशों को "धारित कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और फॉर्म ITR-2 में अनुसूची FA की तालिका D में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इन परिसंपत्तियों का मूल्य भारतीय रुपये में प्रकट किया जाना चाहिए, जो निर्धारित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा से परिवर्तित किया गया है।

विदेशी शेयरों से प्राप्त लाभांश भारत में "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में उस वर्ष में कर योग्य हैं जिसमें वे भुगतान किए जाते हैं। यह कर देयता लागू होती है चाहे लाभांश भारत में भेजा गया हो या विदेश में पुनर्निवेशित किया गया हो।

फॉर्म ITR-2 के लिए निवासी करदाताओं को संबंधित कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय रखी गई सभी विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, विदेशी अधिकार क्षेत्र (आमतौर पर कैलेंडर वर्ष) द्वारा अनुसरण की जाने वाली लेखांकन अवधि को रिपोर्टिंग अवधि माना जाता है। उदाहरण के लिए, कर वर्ष 2026-27 के लिए ITR दाखिल करते समय, आपको 1 जनवरी, 2026 और 31 दिसंबर, 2026 के बीच रखी गई सभी विदेशी परिसंपत्तियों की रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि अधिकांश विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के 1 अप्रैल-31 मार्च कर वर्ष के बजाय कैलेंडर वर्ष का पालन करते हैं। तदनुसार, यदि आपने दिसंबर 2026 में विदेशी शेयर अर्जित किए हैं, तो उन्हें अभी भी 2026-27 कर वर्ष के लिए अनुसूची FA में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, जनवरी 2027 और मार्च 2027 के बीच अर्जित विदेशी शेयर या अन्य परिसंपत्तियों को चालू वर्ष के रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन कर वर्ष 2027-28 में उनका खुलासा किया जाना चाहिए।

विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग की विस्तृत प्रकृति को देखते हुए, आपको लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति (FA) अनुसूची को पूरा करने के लिए कौन आवश्यक है?

कोई भी व्यक्ति जो प्रासंगिक कर वर्ष के दौरान भारत के कर निवासी के रूप में योग्य है और विदेशी संपत्ति रखता है, विदेशी बैंक खाते रखता है, या उस वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी स्रोत से आय अर्जित करता है, उसे आयकर रिटर्न में अनुसूची FA को पूरा करना आवश्यक है। यह दायित्व व्यक्ति के आय स्तर या कर स्लैब की परवाह

खाते, विदेशी स्टॉक, RSU, ESOP या अनुसूची FA में प्रकटीकरण की आवश्यकता वाली कोई अन्य संपत्ति शामिल है, और (3) कोई व्यावसायिक आय नहीं है। नया फॉर्म ITR-2 अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है; इसलिए, ITR-2 में अनुसूचियों के संदर्भ कर वर्ष 2025-26 के फॉर्म पर आधारित हैं।

[13] *अनुसूची AL - वर्ष के अंत में संपत्ति और देनदारियां (उस मामले में लागू जहां कुल आय 10 मिलियन रुपये से अधिक है)*

किए बिना लागू होता है। भले ही आपकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो, यदि आप कर वर्ष के दौरान कोई विदेशी संपत्ति रखते हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

इसलिए भारत में निवासी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 को रखी गई सभी विदेशी परिसंपत्तियों की रिपोर्ट करनी चाहिए, भले ही निम्नलिखित स्थितियों में:

- आपके पास कोई कर योग्य आय नहीं है, या आपकी आय मूल छूट सीमा के भीतर आती है (भले ही इसी तरह की जानकारी अन्य अनुसूचियों जैसे अनुसूची AL में प्रकट की गई हो)।
- विदेशी संपत्ति का अधिग्रहण पूरी तरह से प्रकट विदेशी या घरेलू आय स्रोतों का उपयोग करके किया गया था।

अनुसूची FA में विदेशी परिसंपत्तियों का खुलासा करने में विफलता के परिणामस्वरूप काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत दंड हो सकता है। इसी तरह, कर योग्य विदेशी आय की रिपोर्ट करने में विफलता भी दंड को आकर्षित कर सकती है।

लग्रों एस.ए. (LEGRAND S.A.) में शेयरों में निवेश करते समय फॉर्म ITR-2 में घोषणा का प्रारूप[14]:

कैलेंडर वर्ष 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले किसी भी समय धारित किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति का विवरण (किसी भी लाभकारी हित सहित)											
क्र. सं.	**देश का नाम और कोड**	**पिन कोड**	**संपत्ति का प्रकार**	**स्वामित्व-प्रत्यक्ष/लाभकारी मालिक/ लाभार्थी**	**प्राप्ति की तिथि[15]**	**कुल निवेश (लागत पर) (रु. में)[16]**	**संपत्ति से प्राप्त आय**	**आय का प्रकार**	**इस रिटर्न में कर योग्य और अर्पित आय**		
1	**(2)**	**(2b)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**
यदि आप शेयरों की प्रारंभिक बिक्री/मोचन से पूंजीगत लाभ आय अर्जित करते हैं											
	France FR		ESOP योजना के तहत Legrand S.A. में शेयर	लाभकारी मालिक	12 मई 2026। (*यदि आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर धारित करते हैं, तो कृपया प्रासंगिक विवरण अलग से डालें*) कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें।	(फुटनोट 16 देखें)	NIL (यदि अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक कोई बिक्री नहीं है)। जब भी बेचा जाए, कृपया बिक्री मूल्य को उस माह की तुरंत पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के SBI TT खरीद दर से गुणा करें, जिसमें बिक्री हुई, क्ल 6 में निवेश लागत से घटाकर, बेचे गए शेयरों के अनुपात में। कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें।	NIL। शेयरों की बिक्री के लिए ही भरें, और होल्डिंग अवधि के आधार पर दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ चुनें। कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें।	NIL (यदि CY 2026 के दौरान इकाइयों की कोई बिक्री नहीं। इकाइयों की बिक्री के मामले में ही पूंजीगत लाभ आय (कर योग्य) भरें[17]। जनवरी से 27 मार्च की अवधि में हुई बिक्री को क्ल 9 में न दिखाएं, जबकि इसे इस तालिका के क्ल नं 7 में दिखाना आवश्यक है। कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें। NIL (यदि अधिग्रहण की तिथि से दिसंबर 2026 तक शेयरों की कोई बिक्री नहीं)। शेयरों की बिक्री के मामले में ही पूंजीगत लाभ आय (कर योग्य) भरें। कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें।	NIL। इकाई बिक्री के मामले में ही 'Schedule CG' लिखें। जनवरी से 27 मार्च की अवधि में हुई बिक्री को इस क्ल में न दिखाएं।	NIL। B(9) लिखें – उन संपत्तियों की बिक्री से जहां ऊपर B1 से B8 लागू नहीं – इकाइयों की बिक्री के मामले में ही और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (अल्पकालिक के मामले में, पूंजीगत लाभ अनुभाग में A5 शेड्यूल भरें। जनवरी से 27 मार्च की अवधि में हुई बिक्री को क्ल में न दिखाएं।

[14] *घोषणा का प्रारूप केवल उदाहरण के लिए है। कृपया ध्यान रखें कि यदि आप अन्य ESOP योजनाओं के तहत शेयर रखते हैं तो आपको अतिरिक्त खुलासे करने पड़ सकते हैं। कृपया अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने कर सलाहकार से परामर्श करें*

[15] *शेयरों के आवंटन की तिथि डालें*

[16] *कृपया Legrand शेयरों की अपनी (रु.) खरीद लागत (शेयरों का FMV) (+) 20% छूट जो आपको सदस्यता पर प्राप्त हुई (रु. में) प्लस नियोक्ता मिलान योगदान (एम्प्लायर मैचिंग कंट्रीब्यूशन) की (INR) राशि डालें। [= सदस्यता पर € में Legrand शेयरों के FMV को गुणा करें (संदर्भ मूल्य) * आपको आवंटित शेयरों की संख्या (BNP Paribas पोर्टल देखें) * Legrand द्वारा तय की गई यूरो और रु. के बीच विदेशी विनिमय दर]।*

[17] *कृपया अर्जित पूंजीगत लाभ (दीर्घकालिक या अल्पकालिक) डालें, यानी कॉलम 7 घटा (-) कॉलम 6।*

यदि आप लाभांश आय अर्जित करते हैं											
1	France FR		ESOP योजना के तहत Legrand S.A. में शेयर	लाभकारी मालिक		लाभांश का पुनर्निवेशित मूल्य रु. में (यदि लागू हो)। फुटनोट 18[18] देखें4। कृपया कर सलाहकार से परामर्श करें।	NIL (यदि अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक 2026 ऑफरिंग के तहत कोई लाभांश संचित या प्राप्त नहीं हुआ)।	1	France FR		ESOP योजना के तहत Legrand S.A. में शेयर

* इस अनुसूची में प्रकटीकरण तब तक अनिवार्य है जब तक आप आय प्राप्त नहीं करते/शेयरों को नहीं भुनाते।

आपको फॉर्म ITR-2 में **अनुसूची AL** को भी पूरा करना आवश्यक है, जो संबंधित कर वर्ष के अंत तक करदाता द्वारा रखी गई सभी संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा करना अनिवार्य करता है। उन व्यक्तियों के लिए अनुसूची AL दाखिल करना अनिवार्य है जिनकी कुल आय 10 मिलियन रुपये (सभी कटौतियों के बाद) से अधिक है और जिन्होंने वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं किया है। 10 मिलियन रुपये से कम कुल आय वाले व्यक्तियों को इस अनुसूची को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

रिडेम्पशन पर बिक्री आय का भारत में प्रत्यावर्तन (Repatriation of Sale Proceeds to India upon Redemption)

प्रस्ताव की शर्तों के अधीन, आप योजना के तहत अर्जित यूनिट्स के रिडेम्पशन का अनुरोध कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे रिडेम्पशन से होने वाली सभी आय को रिडेम्पशन तिथि के 180 दिनों के भीतर निवासी कर्मचारियों द्वारा भारत में वापस लाया जाना चाहिए।

भारतीय विदेशी मुद्रा नियमों के तहत, भारत में निवासी व्यक्ति जिसे कोई विदेशी मुद्रा देय या प्राप्य हो जाती है, उसे ऐसी विदेशी मुद्रा को महसूस करने और भारत में वापस लाने के लिए सभी उचित कदम उठाने चाहिए। वसूली पर, आय को भारत में लाया जाना चाहिए या तो:

- भारत में धन हस्तांतरित करना या प्राप्त करना, या
- भारतीय रुपये के बदले में भारत में अधिकृत डीलर को विदेशी मुद्रा बेचना।

एक व्यक्ति को विदेशी मुद्रा वापस लाने वाला माना जाता है जब वे भारत में अधिकृत डीलर के साथ बनाए गए विदेशी बैंक या एक्सचेंज हाउस के खाते से भारत में भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करते हैं।

शेयरों के रिडेम्पशन से होने वाली आय को आपके आयकर रिटर्न में रिपोर्ट किया जाना चाहिए और लागू स्लैब दरों पर कर योग्य होगा, साथ ही अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर।

क्या आपके नियोक्ता के पास रिपोर्टिंग दायित्व हैं?

आपका नियोक्ता आयकर अधिनियम, 2025 के तहत किसी भी रिपोर्टिंग दायित्वों के अधीन नहीं है, उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर रोक कर जमा करने के अलावा जिसमें कर काटा गया है। नियोक्ता को स्रोत पर काटे गए कर के संबंध में त्रैमासिक रोक कर विवरण भी दाखिल करना होगा। 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) मूल्य और उस पर काटे गए कर को कर वर्ष के बाद नियोक्ता द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए गए फॉर्म 130 और 123 (पूर्व में फॉर्म 16 और

[18] *कानून के तहत, लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में, कृपया € में लाभांश राशि को उस महीने से पहले के महीने के अंतिम दिन के रूप में € से रु. की SBI TT खरीद दर से गुणा करें जिसमें लाभांश घोषित, वितरित या भुगतान किया गया है।*

12BA) में परिलक्षित होना चाहिए। हालांकि, आपके नियोक्ता को अर्ध-वर्ष के अंत (यानी, सितंबर या मार्च के अंत) से 60 दिनों के भीतर फॉर्म OPI में एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी जिसमें प्रस्ताव के तहत शेयर या हित अधिग्रहित या हस्तांतरित किए गए हैं। ऐसी रिपोर्टिंग अपने अधिकृत डीलर के माध्यम से दाखिल की जानी चाहिए, जिसमें प्रेषण, शेयर पुनर्खरीद, लाभार्थियों और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल है। इसके अलावा, भारतीय भाग लेने वाली संस्थाओं को प्रस्ताव की अवधि के दौरान ऐसी रिपोर्टिंग दाखिल करनी होगी।

कर के भुगतान का समय और तरीका क्या है?

सब्सक्रिप्शन के समय उपलब्ध कोई भी शेयर मूल्य छूट आपके हाथों में कर योग्य 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) के रूप में मानी जाएगी। आपका नियोक्ता आप पर लागू दर पर कर रोकेगा और कानून के अनुसार अधिकारियों को कर जमा करेगा।

आप लाभांश आय और पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके नियोक्ता को इन राशियों पर कर रोकने या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करों का भुगतान आपको आयकर अधिनियम, 2025 के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रत्येक कर वर्ष के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करना होगा।

अग्रिम कर किस्तों में देय है। 2026-27 कर वर्ष के लिए, देय तिथियां 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं। अग्रिम कर नियमों की आवश्यकता है कि वर्ष के दौरान आपकी अनुमानित वार्षिक कर देयता का उत्तरोत्तर भुगतान किया जाए। जबकि आपका नियोक्ता सदस्यता/खरीद पर 'अनुलाभ' (परकिसीट्स) पर स्रोत पर कर काट लेगा, फिर भी यदि आप लाभांश अर्जित करते हैं या पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं तो आपको अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

15 मार्च तक, वर्ष के लिए आपकी कुल कर देयता का 100% निर्वहन किया जाना चाहिए। अग्रिम कर का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने पर दंडात्मक ब्याज लग सकता है। हालांकि, जहां पूंजीगत लाभ वर्ष में बाद में उत्पन्न होता है, वहां पहले की किस्तों में उनका अनुमान लगाना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, पहले की किस्तों में कमी के लिए कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाता है, बशर्ते पूंजीगत लाभ पर देय अग्रिम कर शेयरों की बिक्री के बाद की किस्त (ओं) में शामिल हो।

आपको अपनी स्थिति पर लागू विशिष्ट कर निहितार्थों को समझने के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करना चाहिए।

* * *

यह सारांश केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दिया गया है और इसे पूर्ण या निर्णायक के रूप में भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित सलाह के लिए, कर्मचारियों को प्रस्ताव में भाग लेने के कर परिणामों के बारे में अपने स्वयं के कर सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

ध्यान दें: यद्यपि, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित देखभाल और प्रयास किए गए हैं कि लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया का हिंदी में अनुवाद सही हो, किसी भी त्रुटि को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस हिंदी अनुवाद और लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया के अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी संघर्ष या अलग व्याख्या के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा; लोकल सप्लीमेंट फॉर इंडिया के अंग्रेजी संस्करण के पढ़ने और व्याख्या के अनुसार किसी भी संघर्ष या मतभेद का समाधान किया जाएगा। किसी भी भ्रम की स्थिति में, स्पष्टीकरण के लिए मानव संसाधन विभाग से संपर्क करें।